सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2016

- मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2017 की जांच करने के लिए गठित सिलेक्ट कमिटी (चेयरपर्सन : डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे) ने 22 दिसंबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह बिल मोटर वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन करता है। बिल को 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में पारित किया गया था और 8 अगस्त, 2017 को राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटी को रेफर किया गया था। इससे पहले फरवरी 2017 में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने इस बिल की जांच की थी।
- कमिटी ने सुझाव दिया कि लोकसभा द्वारा पारित इस बिल को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :
- **क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय** : कमिटी ने कहा कि बिल से सार्वजनिक परिवहन, सड़क सुरक्षा, ऑटोमेशन और कंप्यूटरीकरण, ऑनलाइन लरनिंग लाइसेंस, नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस के रीन्यूअल, राष्ट्रीय परमिट प्रणाली और अंतिम स्थान से कनेक्टिविटी की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। ये प्रावधान नागरिकों के लिए उपयोगी हैं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोगपरक संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की अवधारणा को सशक्त करने में सहायक होंगे। कमिटी ने कहा कि बिल में प्रस्तावित संशोधनों से राज्य सरकारों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के स्वतंत्र कामकाज पर असर नहीं होगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि उसका कामकाज अधिक पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण** : बिल राज्य सरकारों को आदेश देता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा का प्रवर्तन सुनिश्चित करें। कमिटी ने गौर किया कि वर्तमान में केरल में इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण प्रणाली काम कर रही है। कमिटी ने सुझाव दिया कि देश भर में राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों, दोनों जगहों पर उसी प्रकार के ऑटोमेटेड ट्रैफिक एनफोर्समेंट प्रॉजेक्ट को दोहराया जा सकता है। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि हर ट्रैफिक पुलिसवाले के पास बॉडी वियरिंग कैमरा होना चाहिए और रिकॉर्ड किए गए अपराध को डिजिटली स्टोर और मॉनिटर किया जाना चाहिए।
- **सड़क सुरक्षा में सुधार** : कमिटी ने कहा कि हालांकि कानून अच्छा है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नियम और रेगुलेशंस हैं, लेकिन उन्हें लागू करना सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह कहा गया कि अन्य देशों ने ऐसी सुरक्षा प्रणालियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो ये मानती हैं कि मनुष्य गलतियां करेंगे। इसलिए सड़क परिवहन प्रणालियों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि मनुष्य को गलती करने का मौका कम से कम मिले।
- यह सुझाव दिया गया कि नीति निर्माण का सिद्धांत सतत गतिशीलता (सस्टेनेबल मोबिलिटी) पर केंद्रित होना चाहिए और इसके लिए पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और बस यात्रियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि ये सभी राज्य सरकार के डोमेन में आते हैं, यह सुझाव दिया गया कि इन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए।
- **सलाहकार तंत्र** : कमिटी ने कहा कि 1988 के एक्ट के संबंध में स्टेकहोल्डर्स के साथ अधिक सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को सहायक कानून बनाते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल करना चाहिए और एक सलाहकार तंत्र बनाना चाहिए। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को नियम एवं योजनाएं बनाने और अधिसूचना जारी करने से पहले आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगने चाहिए।

प्राची मिश्रा
prachee@prsindia.org

26 दिसंबर, 2017

- **सिंगल टैक्स और परमिट प्रणाली** : कमिटी ने कहा कि अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय परमिट की प्रक्रियाएं बहुत बोझिल हैं और इसमें टैक्स एवं फीस के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर एक बस को पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में चलाया जाए तो उस पर हर वर्ष 42 लाख की परमिट फीस चुकानी होती है। कमिटी ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में सिंगल टैक्स और सिंगल परमिट प्रणाली को लागू करने के तौर तरीकों पर काम कर सकती हैं।
- **नियमों में शामिल किए जाने वाले अन्य सुझाव** : कमिटी ने उन विभिन्न मुद्दों का सुझाव दिया जिन्हें कानून के अंतर्गत नियम बनाते समय लक्षित किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) वाहन डीलरों के उचित कामकाज से संबंधित कड़े दिशानिर्देश और चेकलिस्ट, (ii) शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो तो सजा को बढ़ाकर अधिकतम सात वर्ष करना, (iii) इस बात पर विचार करना कि क्या खरीदे जाने वाले हर नए वाहन पर पंजीकरण के समय एकमुश्त आजीवन थर्ड पार्टी बीमा कराया जा सकता है, और (iv) हिट और रन मामलों में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की संभावना तलाशना।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।